विषय : राज्य कर्मचारियों का विदेशों में ट्रेनिंग, फैलोशिप या किसी अन्य कार्यों के लिए जाना ।

क्या वित्तायुक्त राजस्व हरियाणा तथा अन्य प्रशासकीय सचिव उर्पयुक्त विषय पर ध्यान देंगे ?

2. सरकार के नोटिस में यह आया है कि बहुत से सरकारी अधिकारी/कर्मचारी विदेशों में ट्रेनिंग कोर्स फैलोशिप, अध्ययनार्थ छुट्टी या और सरकारी कार्यों के लिए भेजे जा रहे हैं तथा यह निर्णय लिया गया है कि किसी भी सरकारी अधिकारी/कर्मचारी को विदेश भेजने से पहले मुख्य मन्त्री जी के आदेश प्राप्त किए जाएं । यदि किसी केस में विदेश यात्रा की अनुमति दी भी जा चुकी है तो वह मामला रिव्यू किया जाए और आगे कार्यवाही करने से पहले मुख्यमन्त्री जी के आदेश पुनः प्राप्त किए जाए ।

3. आप सभी से अनुरोध किया जाता है कि इन हिदायतों का दृढ़ता से पालन किया जाए।

हस्ता/–
उप सचिव, राजनैतिक एवं सेवाएं,
कृते मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

(1) वित्तायुक्त राजस्व ।
(2) सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार ।

अशा0 क्रमांक 4476–राज 1(3)–71/ दिनांक चण्डीगढ़ 7 सितम्बर 1971

पृष्ठांकन क्रमांक 4476–राज(3)–71/26450 दिनांक चण्डीगढ़ 7 सितम्बर 1971

एक प्रति सभी विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजी जाती है।

हस्ता/–
उप सचिव, राजनैतिक एवं सेवाएं,
कृतेः- मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।